

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2010

क्र. 22-वि.निर्वा.2010-109.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं :—

- (1) एच. 11024 (2) 2010 LEG-II, दिनांक 31 मई, 2010
- (2) 318-2-2010(1), दिनांक 31 मई, 2010
- (3) 318-2-2010(2), दिनांक 31 मई, 2010

प्रेमचन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 31 मई, 2010, ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

का. आ. (अ).—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्यसभा के ऐसे सदस्य (सदस्यों) के, जिनकी पदावधि का उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित तारीख को अवसान होना है, स्थान (स्थानों) को, उनकी पदावधि के अवसान पर भरने

के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती है :—

सारणी

क्र. सं. (1)	राज्य का नाम (2)	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या (3)	निवृत्ति की तारीख (4)
1	छत्तीसगढ़	2	29-6-2010
2	मध्यप्रदेश	3	29-6-2010
3	तमिलनाडु	6	29-6-2010
4	कर्नाटक	4	30-6-2010
5	उड़ीसा	3	1-7-2010
6	महाराष्ट्र	6	4-7-2010
7	पंजाब	2	4-7-2010
8	राजस्थान	4	4-7-2010
9	उत्तरप्रदेश	11	4-7-2010
10	उत्तराखंड	1	4-7-2010
11	बिहार	5	7-7-2010
12	झारखंड	2	7-7-2010

हस्ता./-

(वी. के. भसीन)

सचिव, भारत सरकार.

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 31st May, 2010, Jyaistha 10, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

S. O. (E).—In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the State (2)	No. of seats to be filled (3)	Date of retirement (4)
1	Chhattisgarh	2	29-6-2010
2	Madhya Pradesh	3	29-6-2010
3	Tamil Nadu	6	29-6-2010
4	Karnataka	4	30-6-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Orissa	3	1-7-2010
6	Maharashtra	6	4-7-2010
7	Punjab	2	4-7-2010
8	Rajasthan	4	4-7-2010
9	Uttar Pradesh	11	4-7-2010
10	Uttarakhand	1	4-7-2010
11	Bihar	5	7-7-2010
12	Jharkhand	2	7-7-2010

Sd./-
(V. K. BHASIN)
Secretary to the Government of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2010, ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 318-2-2010(1).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 31 मई, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें.

सारणी

राज्य (1)	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या (2)
(1) छत्तीसगढ़	2
(2) मध्यप्रदेश	3
(3) तमिलनाडु	6
(4) कर्नाटक	4
(5) उड़ीसा	3
(6) महाराष्ट्र	6
(7) पंजाब	2
(8) राजस्थान	4
(9) उत्तर प्रदेश	11
(10) उत्तराखंड	1
(11) बिहार	5
(12) झारखण्ड	2

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) उक्त वर्णित निर्वाचन के संबंध में:—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	7 जून, 2010 (सोमवार)
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	8 जून, 2010 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	10 जून, 2010 (गुरुवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	17 जून, 2010 (गुरुवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	19 जून, 2010 (शनिवार)

नियत करता है, और,

(ब) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001
New Delhi, the 31st May, 2010, Jyaistha 10, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318-2-2010(1).—Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 31st May, 2010, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE:—

TABLE

State (1)	No. of Members to be filled (2)
(1) Chhattisgarh	2
(2) Madhya Pradesh	3
(3) Tamil Nadu	6
(4) Karnataka	4
(5) Orissa	3
(6) Maharashtra	6
(7) Punjab	2
(8) Rajasthan	4
(9) Uttar Pradesh	11
(10) Uttarakhand	1
(11) Bihar	5
(12) Jharkhand	2
Total . . . 49	

Now, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby:—

- (A) **appoints**, with respect to the said election.
- The 7th June, 2010 (Monday), as the last date for making nominations.
 - The 8th June, 2010 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations.
 - The 10th June, 2010 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures.
 - The 17th June, 2010 (Thursday), as the date on which a poll shall if necessary, be taken; and
 - The 19th June, 2010 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) **fixes the hours** from 9.00 A.M. to 4.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(K. AJAY KUMAR)

Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2010, ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 318-2-2010 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में 31 मई, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वारा:—

- नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, और
- उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
(1) छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
(2) मध्यप्रदेश	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा	उप सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा
(3) तमिलनाडु	सचिव, तमिलनाडु विधान सभा	उप सचिव, तमिलनाडु विधान सभा
(4) कर्नाटक	सचिव, कर्नाटक विधान सभा	संयुक्त सचिव, कर्नाटक विधान सभा
(5) उड़ीसा	सचिव, उड़ीसा विधान सभा	उप सचिव, उड़ीसा विधान सभा

(1)	(2)	(3)
(6) महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	श्री सुभाषचन्द्र मायकर, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय.
(7) पंजाब	सचिव, पंजाब विधान सभा	श्रीमती स्वर्ण कान्ता, अवर सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय.
(8) राजस्थान	सचिव, राजस्थान विधान सभा	(1) उप सचिव (प्रशासन एवं सदन), राजस्थान विधान सभा. (2) सहायक सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा.
(9) उत्तरप्रदेश	प्रमुख सचिव, उत्तरप्रदेश विधान सभा	विशेष सचिव, उत्तरप्रदेश विधान सभा
(10) उत्तराखंड	प्रमुख सचिव, उत्तराखंड विधान सभा	अपर सचिव, उत्तराखंड विधान सभा
(11) बिहार	सचिव, बिहार विधान सभा	उप सचिव, बिहार विधान सभा
(12) झारखण्ड	सचिव, झारखण्ड विधान सभा	संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा

आदेश से,
हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001
New Delhi, the 31st May, 2010 Jyaistha 10, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318-2-2010 (2).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the each States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby—

- designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions:—

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of India, published in the Gazette of India on 31st May, 2010:—

TABLE

States	(1)	(2)	(3)
(1) Chhattisgarh	Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Additional Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Deputy Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha
(2) Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Deputy Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	

(1)	(2)	(3)
(3) Tamil Nadu	Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly.	Deputy Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly.
(4) Karnataka	Secretary, Karnataka Legislative Assembly.	Joint Secretary, Karnataka Legislative Assembly.
(5) Orissa	Secretary, Orissa Legislative Assembly.	Deputy Secretary, Orissa Legislative Assembly.
(6) Maharashtra	Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat.	Shri Subhashchandra Mayekar, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat.
(7) Punjab	Secretary, Punjab Vidhan Sabha	Smt. Swarn Kanta, Under Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat.
(8) Rajasthan	Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	(1) Deputy Secretary (Administration & House), Rajasthan Legislative Assembly. (2) Assistant Secretary (General), Rajasthan Legislative Assembly.
(9) Uttar Pradesh	Principal, Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh.	Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh.
(10) Uttarakhand	Principal, Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha.	Additional Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha.
(11) Bihar	Secretary, Bihar Vidhan Sabha.	Deputy Secretary, Bihar Vidhan Sabha.
(12) Jharkhand	Secretary, Jharkhand Legislative Assembly.	Joint Secretary, Jharkhand Legislative Assembly.

By order,
Sd./-

(K. AJAY KUMAR)

Secretary to the Election Commission of India.